न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : **बीनू देवल (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 72/2019 (2019/00185)

अनवान

1. बाबूलाल पिता कालू बलाई नि.नरपत की खेडी तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. कालू पिता रामा बलाई नि.नरपत की खेडी तह.व जिला चित्तौडगढ(नाम तर्क)
2. श्रीमती बसंती पुत्री कालू पत्नी नंद लाल बलाई नि.पुठोली हाल नि.नरपत की खेडी तह.व जिला चित्तौडगढ (नाम तर्क)
3. पप्पु लाल पिता कालू बलाई नि.नरपत की खेडी तह.व जिला चित्तौडगढ
4. मुन्ना पुत्री कालू पत्नी उदय लाल बलाई नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
5. मांगू पिता रूपा बलाई नि.नरपत की खेडी तह.व जिला चित्तौडगढ
6. उंकार मुतबन्ना लाला बलाई नि.नरपत की खेडी तह.व जिला चित्तौडगढ
7. भूमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—188 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री बसन्तीलाल पोखरना अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 16।03।26

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88—188 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया की ग्राम गणेशपुरा की कृषि भूमि आराजी नं 735 रकबा 0.91 हे. स्थित है। उक्त आराजीयात गत भू प्रबन्ध के बाद नरपत की खेडी के बजाय ग्राम गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ मे परिवर्तित हो अंकित हुई है। उक्त वर्णित आराजीयात मे मांगू पिता रूपा 1/3, उंकार मुतबन्ना लाला 1/3 एंव रामा एंव केला पिता भेरा बलाई 1/3 हिस्सा बराबर बराबर हो दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि में रामा पिता भेरा का 1/6 हिस्सा खातेदारी एंव केला पिता भेरा का 1/6 हिस्सा खातेदारी था। केला पिता

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

के 1/6 हिस्से को केला पिता भेरा के निधन के बाद केला के पुत्र भगवान ने प्रतिवादी संख्या 01 को विक्रय कर दिया इस कारण जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 01 कालू पिता रामा का 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ है। उक्त वर्णित कृषि भूमि कालू पिता रामा का 1/6 हिस्सा पैतृक है। जो कालू पिता रामा को रामा जी के निधन के कारण विरासत से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था जिसमें वादी का पैदाइशी 1/30 हक हिस्सा खातेदारी है एंव प्रतिवादी संख्या 01 का 1/30 हक हिस्सा खातेदारी, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/30 हक हिस्स खातेदारी एंव प्रतिवादी संख्यश 03 का 1/30 हक हिस्सा खातेदारी एंव प्रतिवादी संख्या 04 का 1/30 हक हिस्सा खातेदारी है। वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात का वादी के द्वारा पैदाईशी हक हिस्से अनुसार 1/30 हिस्से का उपयोग उपभोग वादी द्वारा किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 ने वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात मे अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा 1/3 जरिये पंजीकृत दान विलेख दिनांक 16.11.2009 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 को दान कर दिया जिसकी कोई जानकारी या सहमति वादी की नहीं थी। उपरोक्त उक्त दान की गयी कृषि भूमि के हिस्से में वादी का उपरोक्त वाद पत्र मे वर्णित तथ्यानुसार 1/30 हिस्सा खातेदारी वैधानिक रूप से है। इस वादी के वैधानिक 1/30 हिस्से खातेदारी को भी उक्त दान विलेख के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 02 को दान कर दिया जो वादी के 1/30 हिस्से खातेदारी के मुकाबले शुन्य, प्रभावहीन एंव निष्प्रभावी है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 को वादी के विधि अनुसार उपर वर्णित निहित 1/30 हिस्सा खातेदारी को प्रतिवादी संख्या 01 को दान विलेख के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 02 को दान करने का कोई अधिकार नहीं था और यह दान वादी के उक्त 1/30 हक हिस्से के मुकाबले शून्य एंव निष्प्रभावी है। इस कारण वादी को उक्त दान विलेख दिनांक 16.11.2009 को सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त कराने की कोई वैधानिक आवश्यकता नही है। वादी को उक्त दान विलेख की जानकारी दिनांक 24.11.2015 को हुई जब वादी ने उक्त विवादग्रस्त आराजीयात की जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्राप्त की तो पता चला कि प्रतिवादी संख्या 01 कालू ने अपने संपूर्ण हिस्से को प्रतिवादी संख्या 02 को दान कर दिया तथा विवादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 02 के नाम होने से प्रतिवादी संख्या 02 को

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ादग्रस्त आराजीयात अन्य को हस्तान्तरित करने का प्रयास किया जा रहा है। ाद कारण दिनांक 24.11.2015 को पैदा होकर निरन्तर जारी है। अन्त मे वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ की आराजी नं 735 रकबा 0.91 हे. में वादी के 1/30 हक हिस्सा खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जाने एंव प्रतिवादी संख्या 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने की डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 18.06.2016 को वादी का वाद खारिज किया गया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर वादी ने प्रथम अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौडगढ के यहा की गई । माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या अपील संख्या 370/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 14.03.2018 से न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.06.2016 को निरस्त फरमाया जाकर , उभयपक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतू निर्देशित कर प्रतिप्रेषित किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौडगढ की पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 03, 04 से 06 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 01, 02 के नाम तर्क करने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए जो बाद सुनवाई स्वीकार किए जाकर नाम तर्क करने के आदेश हुए है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का खण्डन प्रस्तुत नही करने से वाद बिन्दू कायम नही किए गए। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र की ताईद मे बयान शपथ पत्र pw1 बाबुलाल का प्रस्तुत कर बयान लेखबद्ध करवाए गए व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्बत 2065 से 2068 प्रदर्श–3 , नकल जमाबन्दी सम्त् 2031 से 2034 खाता संख्या 113 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 खाता संख्या 114 प्रदर्श–5, मिलान खसरा प्रदर्श–6, दान विलेख द्वारा कालू पिता रामा बलाई द्वारा बसन्ती पुत्री कालू बलाई के पक्ष मे जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श–7 प्रदर्शित

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

रवाए। हस्तगत प्रकरण बहस हेतू न्यायालय के समक्ष पेश हुआ । बहस वाद पत्र पर अधिवक्ता वादी की सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए ग्राम गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ की आराजी नं 735 रकबा 0.91 हे. में वादी के 1/30 हक हिस्सा खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जाने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने की डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता वादी के कथनो पर चिन्तन व मनन किया । अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 यह बतलाती है कि गत भू–प्रबन्ध की आराजी नं 575 के खातेदार रामा , केला पिता भेरा 1/3 हक हिस्से के खातेदार थे । प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल से आराजी नं 575 के नए नम्बर 735 बने होने की पुष्टि होती है। प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 मे लगे नोट मे रजिर्स्टड दान विलेख से कालू पिता रामा 1/3 बलाई के बजाय बसन्ती पुत्री कालू 1/3 सा.नरपत की खेडी के नाम दर्ज रेकार्ड होना अंकित है और उक्त रजिर्स्टड दान विलेख की प्रति प्रदर्श–7 के रूप मे प्रदर्शित है। उपर्युक्त दस्तावेजात का सूक्ष्मता से अवलोकन व विश्लेषण से न्यायालय के समक्ष यह स्थिति उभरकर आई है कि विवादग्रस्त आराजीयात मे कालू पिता रामा बलाई द्वारा रजिर्स्टड दान विलेख के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष मे 1/3 हिस्से भूमि का हस्तान्तरण हुआ है । ऐसी स्थिति मे रजिर्स्टड दान विलेख के अस्तित्व मे रहते हुए वादी न्यायालय हाजा से वाद ग्रस्त आराजीयात के सम्बंध मे घोषणा का अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाने से खारीज किए जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र ग्राम गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ की आराजी संख्या 735 रकबा 0.91 हे. के सम्बंध मे खातेदारी घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का खारीज किया जाता है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(हीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. बाबूलाल पिता कालू बलाई नि.नरपत की खेडी तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. कालू पिता रामा बलाई नि.नरपत की खेडी तह.व जिला चित्तौडगढ(नाम तर्क)
2. श्रीमती बसंती पुत्री कालू पत्नी नंद लाल बलाई नि.पुठोली हाल नि.नरपत की खेडी तह.व जिला चित्तौडगढ **(नाम तर्क)**
3. पप्पु लाल पिता कालू बलाई नि.नरपत की खेडी तह.व जिला चित्तौडगढ
4. मुन्ना पुत्री कालू पत्नी उदय लाल बलाई नि.माताजी की पाण्डोली तह.व जिला चित्तौडगढ
5. मांगू पिता रूपा बलाई नि.नरपत की खेडी तह.व जिला चित्तौडगढ
6. उंकार मुतबन्ना लाला बलाई नि.नरपत की खेडी तह.व जिला चित्तौडगढ
7. भूमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—188 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या : 72/2019

वादी की ओर से अधिवक्ता बसन्ती लाल पोखरना की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादी का वाद पत्र ग्राम गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ की आराजी संख्या 735 रकबा 0.91 हे. के सम्बंध मे खातेदारी घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का खारीज किया जाता है।

यह आज दिनांक 16/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner